अपील रसद प्रकरण संख्या 13/2022 (GCMS 2022/283) अनवान् जगदीश नायक पुत्र सुरजाराम जाति नायक, निवासी ग्राम पंचायत भैरूपुरा सीलवानी, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पोस मशीन–11852 बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

26.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री संदीप गौड़ उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :

दिनांक 18.04.2022 को अपीलार्थी श्री जगदीश नायक की उचित मूल्य दुकान का मौका निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा किया गया, जिसमें निम्न कमियां पाई गई :

1. मौका पर भौतिक सत्यापन के दौरान उपरोक्त स्टॉक 182.5 किलोग्राम कम मिला।
2. स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड उपलब्ध था, परन्तु स्टॉक दर्ज नहीं था।
3. मौका पर उचित मूल्य दुकान राय सिंह पुत्र मूनफूल राम, जाति जाट के यहां संचालित थी, जबकि विक्रेता द्वारा उपलब्ध प्राधिकार पत्र 676/2006 में पता जगदीश पुत्र रामलाल शर्मा दर्ज है। डिपो का संचालन प्राधिकार पत्र में दर्ज पते से अन्यत्र किया जा रहा था तथा डिपो का प्रवेश द्वारा राय सिंह पुत्र मनफूल राज के परिसर में खुलता है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा कमियों के आधार पर अपीलार्थी के लाईसेन्स को निरस्त करने की अनुशंसा की गई, जिसके आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 06.05.2022 को निलम्बित किया गया, इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्राधिकार पत्र राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विनियमन) आदेश 1976 के तहत निलम्बित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में किन धाराओं व शर्तों का अपीलार्थी द्वारा उल्लंघन किया गया है, इस बात वर्णन निलम्बन आदेश में अंकन नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है वह दिनांक 06.05.2022 को निलम्बित किया गया है। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच अथवा कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं किये गये है। जिन शपथ पत्रों के आधार पर गेहूं का स्टॉक कम होना बताया जा रहा है, उनहीं व्यक्तियों द्वारा अपने सशपथ बयानों में वर्णित किया गया है कि उन द्वारा ऐसी किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौका पर भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त स्टॉक 182.5 किलोग्राम पाया गया है जिसके सम्बन्ध में जांच अधिकारी को कथन किया जा चुका है कि वर्षा ऋतु के कारण कुछ अनाज में पानी लगने के कारण उन्हें दुकान की छत पर सुखाया हुआ था, जिसका जांच अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया। उक्त स्टॉक 182.5 किलोग्राम था, जो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमा करवा दिया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड दुकान पर लगा हुआ था, उस पर स्टॉक दर्ज किया था जो चॉक से दर्ज किये जाने के कारण वर्षा ऋतु के कारण धूमिल होने से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौका पर उचित मूल्य दुकान राय सिंह पुत्र मनफूल राम जाति जाट के यहां संचालित हो रही थी, इस सम्बन्ध में भी जांच अधिकारी को कथन किया जा चुका है कि उक्त दुकान के अन्यत्र रायसिंह पुत्र मनफूल राम संचालित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थान परिवर्तन करवाया जा चुका है। वर्तमान में उक्त दुकान स्थान परिवर्तन स्थल पर ही संचालित हो रही थी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 06.05.2022 को निलम्बित किया गया है। इस उपरान्त जांच अधिकारी को पूर्णतः जांच 90 दिवस में की जाकर प्राधिकार पत्र से सम्बन्धित प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था परन्तु आज दिनांक तक उक्त प्रकरण की जांच ना तो पूर्ण की गई है ना ही प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी प्राधिकार पत्र को 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता है एवं 90 दिवस की अवधि में ही जांच अधिकारी द्वारा जांच का निस्तारण न किये जाने की सूरत में निलम्बित प्राधिकार पत्र स्वतः ही बहाल हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र 06.05.2022 को निलम्बित किया गया है, ऐसी सूरत मे 90 दिवस के पश्चात प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में 182.5 किग्रा स्टॉक कम मिलने, स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड पर स्टॉक दर्ज नहीं होने एवं उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्र में अंकित स्थान से अन्यत्र संचालित होना पाये जाने एवं उचित मूल्य दुकान द्वारा प्राधिकार पत्र में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत भैरूपुरा सिलवानी, उप सरपंच, ग्राम पंचायत भैरूपुरा सिलवानी एवं ग्राम पंचायत भैरूपुरा सिलवानी के निवासियों द्वारा उचित मूल्य दुकानदार श्री जगदीश नायक की बार–बार लिखित में शिकायतें की गई थी कि उक्त उचित **मूल्य दुकानदार का पूर्व में भी 2 बार लाईसेंस निरस्त किया जा चुका है फिर भी उचित मूल्य दुकानदार रसद विभाग को सूचना दिए बिना ही अन्यत्र स्थान पर राशन डिपों का संचालन कर रहा है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उचित मूल्य दुकानदार की अनाज वितरण में गडबड़ी करने एवं उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने तथा गत 20–25 वर्षों से उपभोक्ताओं के सारे राशन वितरण में बेईमानी करने की लगतार शिकायतें प्राप्त होने के कारण, राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी राशि वितरण हेतु जारी प्राधिकार पत्र को आगामी आदेश तक के लिये निलम्बित किया गया। अतः डीलर द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज करके जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश 06.05.2022 को यथावत् रखने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **कि** अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान पोस मशीन 11852, ग्राम पंचायत भैरूपुरा सीलवानी तहसील सूरतगढ व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है। राशन वितरण में अनियमितता पाये जाने के कारण, उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ की अनुशंषा पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.05.2022 से प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार, जगदीश नायक, ग्राम पंचायत भैरूपुरा सीलवानी का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक के लिए निलम्बित किया था।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सरपंच, ग्राम पंचायत भैरूपुरा सिलवानी ने अपने लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2022, 03.06.2022 एवं 25.06.2022, ग्राम पंचायत भैरूपुरा सीलवानी के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत 24 शपथ पत्र, उपसरपंच, ग्राम पंचायत भैरूपुरा सीलवानी का लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2022 के संलग्न सरपंच ग्राम पंचायत भैरूपुरा सीलवानी एवं ग्राम पंचायत भैरूपुरा सीलवानी के निवासियों द्वारा प्रस्तुत 14 शिकायत प्रार्थना पत्रों से प्राधिकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उचित मूल्य दुकानदार श्री जगदीश नायक की बार–बार शिकायत की गई है कि वह लगभग डेढ़ वर्ष से प्राधिकृत पत्र में अंकित स्थान से अन्यत्र स्थान पर राशन डिपो का संचालन कर रहा है, राशन डीलर अनाज वितरण में गडबडिया करने, उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के कारण आदि की लिखित शिकायतें की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी जगदीश नायक ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, जिससे किसी प्रकार की हानि या नुकसान है तथा जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 04.11.2022 को गेहूं जमा करवाने बाबत आदेश जारी किया गया था, जिसकी पालना में उसने दिनांक 26.11.2022 को उक्त डीलर व प्रवर्तन निरीक्षक, सूरतगढ को जमा करवा दिया है, अब उसके पेटे कोई गेहूं बकाया नहीं है। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी जगदीश नायक स्वयं ने गेहूं कम पाया जाना स्वीकार किया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील अपील में अंकित किया है कि उसका प्राधिकृत पत्र दिनांक 06.05.2022 को आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया था तथा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी प्राधिकार पत्र को 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए सस्पेड नहीं किया जा सकता है। जिसके सम्बन्ध में उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपरु के पत्रांक एफ17(45)खा.वि./न्याय/76 जयपुर दिनांक 22.11.2017 में निम्नानुसार आदेश दिये गये है :-

> राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित दरों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र गृहस्थी, राशनकार्ड धारक परिवारों को खाद्यान्न, चीनी, केरोसीन आदि वस्तुएं, सहजता, पारदर्शिता एवं सामयिक रूप से प्रतिमाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रणाली में संलग्न उचित मूल्य दुकानदार एवं सक्षम अधिकारी द्वारा खाद्यान्नों का उठाव एवं वितरण निर्धारित समयावधि में किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आदेश 2015 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जारी किये गये है, जो राज्य में प्रभावी है। अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण कास विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त सभी आदेशों के प्रावधानों की सम्यक पालना सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जा रहे हैः

1. राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड–8 एवं 9 के अन्तर्गत अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान या उनकी प्रत्याशा में ऐसे प्रकरणों में खण्ड–8(II) के अन्तर्गत **अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो, मे प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा।**
2. यदि प्राधिकार पत्र धारक के प्राधिकार पत्र निलम्बन की अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र [illegible] के तुरन्त पश्चात बहाल माना जावेगा एवं प्राधिकार पत्र धारक नियमानुसार कार्य कर सकेगा। ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त आदेशो के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिवस की अवधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकेगा परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिवस अथवा प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो, में प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा तथा यदि प्राधिकार पत्र धारा के प्राधिकार पत्र निलम्बन की अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया है तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलम्बन अवधि समाप्त होने के तुरन्त पश्चात बहाल माना जावेगा।

अतः राज्य सरकार उक्त आदेशों के मध्यनज़र अपीलार्थी जगदीश नायक पुत्र सुरजाराम की पोस मशीन संख्या 11852 का अनुज्ञा पत्र संख्या 676/2006 जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में उसके विरूद्ध विचाराधीन जांच के आधीन रखते हुए बहाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। **जगदीश नायक पुत्र सुरजाराम पोस मशीन संख्या 11852 का अनुज्ञा पत्र संख्या 676/2006 बहाल किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि उचित मूल्य दुकान का संचालन प्राधिकार पत्र में अंकित पते पर ही किया जावे। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान पाई कमियों पर 15 दिवस में जांच पूर्ण करें। जिला रसद अधिकारी जांच के निष्कर्ष अनुसार आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगें।** आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible]23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:21:43 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर